न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर.ए.एस)

अपील संख्या 69 / 2018 (225 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2018 / 000242

उनवानी :–

1– रेखा पुत्री स्व0 जवाहरलाल जाति वावरिया निवासी ग्राम इकरन तहसील व जिला भरतपुर

अपीलांटान––––––––––––

बनाम

1– विजयसिंह पुत्र स्व0 जवाहरलाल जाति वावरिया नि0 ग्राम इकरन तहसील व जिला भरतपुर

असल रेस्पोडेन्ट––––––––

2– रामदुलारी पुत्री जवाहरलाल पत्नि सुभाषचन्द जाति वावरिया नि0 इकरन तहसील व जिला भरतपुर

तरतीवी रेस्पोडेन्टान ––––––

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर भरतपुर तारीख 08.06.2017 मिसिल न0 248 / 12 व उनवानी मुकदमा रामदुलारी बनाम जवाहर प्रार्थना पत्र धारा 212 आ0 टी0 ए0।

उपस्थितिः–

1– वकील अपीलांट श्री अर्जुन सिंह

2– वकील रैस्पो0 श्री के.के सिंघल, श्री नीरपालसिंह

निर्णय दिनांक 26.02.2021

अपील अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांकित 08.06.2017 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि रेस्पो संख्या 02 द्वारा विवादित आराजी खसरा

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी

संख्या 295, 296, 297, 298 कुल किता 4 रकबा 1.32 हैक्टेयर वाके ग्राम रूंध इकरन तहसील भरतपुर मे से पैतृक आराजी की घोषणा हेतु दावा अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया। जिसमें अपीलाण्ट को तरतीवी प्रतिवादी बनाया गया था। वादिनी रामदुलारी, अपीलाण्ट रेखा के विवादित आराजी मे समान अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.02.2013 को एक पक्षीय निषेधाज्ञा पारित कर विवादित आराजी को रहन व मुन्तकिल न करने एवं मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का प्रतिवादीगण को पाबंद किया गया। उक्त आदेश को लोक अदालत इकरन मे दिनांक 08.06.2017 को खारिज कर दिया जो कतई गलत आधार पर व कानून के खिलाफ किया जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्रया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णक्षति बाबत् कोई व्याख्या नही की। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विवादित आराजी का पैतृक होना बखूबी साबित होता है वाद के विचाराधीन ही अपीलाण्ट के पिता जवाहर एवं उसके पुत्र गोपाल की मृत्यु हो चुकी है। रेस्पो0 द्वारा मृतक जवाहर एवं गोपाल की आराजी को फर्जी लिखित के आधार पर दर्ज कराकर अपीलाण्ट को बेदखल कराना चाहते है। लोक अदालत मे राजीनामा मे आधार पर निस्तारण करने का प्रावधान है परन्तु अदालत द्वारा बिना साक्ष्य व बिना सुनवाई के अवसर दिए एवं कानूनों प्रावधानों के विपरित अपीलाधीन आदेश पारित किया। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ताफैसला दावा रैस्पो0 को पांबद किया जावे कि वे विवादित आराजी से अपीलाण्ट बेदखल न करें, रहन व मुन्तकिल न करें मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पो0 संख्या 02 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुऐ कथन किया अपील असत्य, आधारहीन एवं मनगढ़त रूप से मियाद बाहर प्रस्तुत की है। प्राथमिक स्तर ही अपील खारिज की जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को साक्ष्य व सुनवाई के अपूर्ण अवसर दिये जाने के उपरांत निर्णय पारित किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपी. द्वारा अपने अपील मीमों के कथनो को दोहराते हुए तर्क दिया कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है जिस पर दोनो पक्षों का बराबर–बराबर हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय आदेश से अपी. के हितों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है विवादित आराजी की सुरक्षा के लिए राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जानी आवश्यक है। अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 द्वारा बहस में तर्क दिया कि अपी. नामांतरण की

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी

कार्यवाही को रोकना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अपील मियाद बाहर पेश की है जिसे खारिज किया जावे। अधि. रेस्पो. सं. 2 द्वारा बहस में तर्क दिया कि यह सही है कि विवादित आराजी पैतृक है जिस पर दोनों पक्षों का समान अधिकार है किंतु स्थगन जारी किये जाने से नामांतरण की कार्यवाही रूक जायेगी। विवादित आराजीयात अभी भी मृतक जवाहरसिंह अपी. व रेस्पों के पिता के नाम ही दर्ज रिकॉर्ड है नामांतरण की कार्यवाही आवश्यक है। विवादित आराजी बाद नामांतरण ही सभी पक्षकारों के नाम दर्ज रिकॉर्ड की जा सकती है। अपील मियाद बाहर होने से मेंटेनेबल न होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। जहां तक मियाद के बिन्दु का प्रश्न है तो अपीलांट द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायलय के आदेश दिनांकित 08.06.2017 के विरूद्व दिनांक 30.08.2018 को न्यायलय हाजा में प्रस्तुत की है। रेस्पों सं. 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायलय में दायर किये गये दावे में अपीलांट को मुख्य प्रतिवादी नहीं बनाया गया था। जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी होने में विलम्ब होना स्वभाविक है। अतः अपील दायर करने मे हुए विलम्ब को न्याय हित में माफ किया जाना उचित है।

विवादित आराजी खसरा संख्या 295, 296, 297, 298 कुल किता 4 रकवा 1.32 हेक्टेयर बाकेग्राम रूंध इकरन तहसील व जिला भरतपुर अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली में स्थित राजस्व रिकॉर्ड से पैतृक आराजी होना सिद्ध होता है। जिस पर अपीलांट का रेस्पो के साथ बहिस्सा बराबर अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांकित 08.06.2017 जो कि लोक अदालत में पारित किया गया था, उसमें किसी भी पक्षकार की सहमति का उल्लेख नही किया गया जबकि लोक अदालत में परित निर्णय समझौते के आधार पर किये जाने चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण मे यह निर्विवाद है कि विवादित आराजी अभी भी राजस्व रिकॉर्ड मे मृतक जवाहरसिंह के नाम दर्ज है। अपीलांट एवं रैस्पो0 मृतक जवाहरसिंह के ही वारिसान है जिनका उक्त विवादित आराजी पर बहिस्सा बराबर अधिकार है विवादित आराजी पर मृतक जवाहरसिंह के वारिसान का नाम दर्ज रिकॉर्ड किया जाना आवश्यक है। साथ ही विवादित आराजीयात की सुरक्षा ताफैसला दावा अधीनस्थ न्यायालय किया जाना भी न्यायोचित है। उक्त परिप्रेक्ष्य मे अपील अपीलाण्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

आदेश

अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांकित 08.06.2017 निरस्त किया जाता है। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 295, 296, 297, 298 कुल किता 4 रकबा 1.32 हैक्टेयर वाके ग्राम रूंध इकरन तहसील भरतपुर पर मृतक जवाहरसिंह के सभी वारिसान का नाम मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड होने के पश्चात् ताफैसला मूल दावा विवादित आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

26.02.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर ए एस
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर

यह निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे द्वारा लिखा या जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.02.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर ए एस
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर